

न्यायालय: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रीवा (म.प्र.)

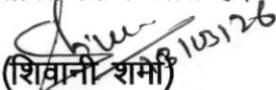
क्रमांक 31/स्टेनो/2026

दिनांक 13.03.2026

विविध आदेश

13.03.2026

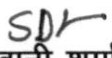
न्यायालय श्रीमती भारती केशरी कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिरमौर के न्यायालय से प्राप्त पत्र जावक क्र०-108/2026 एवं जावक क्र०-109 रीवा दिनांक 13.03.2026 के द्वारा निवेदन किया गया है कि विविध आदेश क्रमांक/28/स्टेनो/2026 रीवा दिनांक 12.03.2026 के माध्यम से आरसीटी प्रकरण क्र०-727/17 शासन विरुद्ध नीरज सिंह पटेल वगै० एवं आरसीटी प्रकरण क्र०-183/25 शासन वि० राजपति सिंह वगै० उनके न्यायालय से अंतरित हो गये हैं तथा राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 14.03.2026 को आयोजित होने से आरसीटी प्रकरण क्र०-727/17 शासन विरुद्ध नीरज सिंह पटेल वगै० में फरियादी द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया है एवं आरसीटी प्रकरण क्र०-183/25 शासन वि० राजपति सिंह वगै० उन्हीं के न्यायालय के सुनवाई क्षेत्राधिकार का है, जिन्हें उनकी न्यायालय में पुनः अंतरित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रकरण की प्रकृति एवं फरियादी द्वारा किये गये राजीनामा एवं राष्ट्रीय लोक अदालत को दृष्टिगत रखते हुए उक्त प्रकरणों को श्रीमती गीता उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिरमौर के न्यायालय से प्रत्यहरित कर विधिवत विचारण एवं निराकरण हेतु श्रीमती भारती केशरी कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिरमौर के न्यायालय में अंतरित किये जाते हैं।


(शिवानी शर्मा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा(म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

1. न्यायालय श्रीमती भारती केशरी कश्यप, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिरमौर, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. न्यायालय श्रीमती गीता उइके, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिरमौर, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(शिवानी शर्मा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रीवा(म.प्र.)